

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या:- ६२७/XVIII(1)/2019-03(17)/2009 TC-1
देहरादून: दिनांक: १० अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

विज्ञप्ति

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, मा० राज्यपाल उत्तराखण्ड संग्रह राजस्व नियमावली बनाते हैं :—

उत्तराखण्ड संग्रह राजस्व निरीक्षक एवं संग्रह नायब तहसीलदार सेवा नियमावली—2019

भाग 1—सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड संग्रह राजस्व निरीक्षक एवं संग्रह नायब तहसीलदार सेवा नियमावली, 2019 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. सेवा की प्रारिथ्ति उत्तराखण्ड संग्रह राजस्व निरीक्षक एवं संग्रह नायब तहसीलदार सेवा एक अधीनस्थ अराजपत्रित समूह 'ग' सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।
3. परिभाषा 'जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—
(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तराखण्ड लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;
(2) "संग्रह नायब तहसीलदार" के नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् से है तथा "संग्रह राजस्व निरीक्षक" के नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य कलेक्टर से है;
(3) "परिषद्" का तात्पर्य राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड से है;
(4) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(5) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(6) 'सेवा' से उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड राजस्व संग्रह निरीक्षक एवं संग्रह नायब तहसीलदार की सेवा अभिप्रेत है;

- (7) राज्यपाल का तात्पर्य, उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है।
- (8) 'सरकार का तात्पर्य, उत्तराखण्ड सरकार से है;
- (9) 'जनपद' से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपद अभिप्रेत हैं;
- (10) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ;
- (11) "विभागाध्यक्ष" से अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून अभिप्रेत है ;
- (12) "राजस्व परिषद" से राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून अभिप्रेत है;
- (13) 'आयुक्त' से उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ व गढ़वाल मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है ;
- (14) 'कलेक्टर' से जनपद का कलेक्टर अभिप्रेत है ;
- (15) "राजस्व निरीक्षक" से उत्तराखण्ड राजस्व निरीक्षक अभिप्रेत है;
- (16) "संग्रह राजस्व निरीक्षक" से उत्तराखण्ड संग्रह राजस्व निरीक्षक अभिप्रेत है;
- (17) "संग्रह नायब तहसीलदार" से उत्तराखण्ड संग्रह नायब तहसीलदार अभिप्रेत है;
- (18) "प्रशिक्षण संस्थान" से भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा अभिप्रेत है;
- (19) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

भाग 2—संवर्ग

- 4. सेवा संवर्ग**
- (1) राजस्व संग्रह निरीक्षक सेवा का संवर्ग जनपदीय होगा और सेवा में पदों की संख्या राजस्व निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) के कुल सृजित पदों के सापेक्ष 06 प्रतिशत् पद कम करते हुए राजस्व संग्रह निरीक्षकों हेतु आरक्षित किया जायेगा अथवा जो समय—समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
 - (2) संग्रह नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु नायब तहसीलदार संवर्ग के कुल पदों के सापेक्ष 03 प्रतिशत् पद कम करते हुए आरक्षित किया जायेगा।
 - (3) सेवा में पदों की संख्या, जब तक उपनियम (1) व (2) के अधीन पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो समय—समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

5. दायित्व

संग्रह नायब तहसीलदार द्वारा संग्रह कार्यों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण।

संग्रह राजस्व निरीक्षक द्वारा संग्रह कार्यों का पर्यवेक्षण, वसूली प्रक्रिया का प्रभावी नियंत्रण। निर्वाचन कार्य, आपदा प्रबन्धन, राजस्व विभाग के अन्तर्गत सक्षम स्तर से सौंपे गये कार्य।



भाग 3—भर्ती

6. भर्ती का स्रोत (1) संग्रह राजस्व निरीक्षक—मौलिक रूप से नियुक्त संग्रह अमीनों में से जिन्होंने भर्ती के रूप में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
- (2) संग्रह नायब तहसीलदार—मौलिक रूप से नियुक्त संग्रह राजस्व निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के रूप में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

7. आरक्षण

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (सामान्य) तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

8. रिक्तियों की अवधारणा (1) संग्रह राजस्व निरीक्षक पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।
(2) संग्रह नायब तहसीलदार पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
9. संग्रह नायब तहसीलदार के पद पर भर्ती की प्रक्रिया राजस्व संग्रह नायब तहसीलदार के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय—समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 (यथासंशोधित) के अनुसार की जायेगी।
10. चयन सूची लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों हेतु पदोन्नति चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के प्राविधान लागू होंगे। संग्रह राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसका गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

- | | |
|--|-----------|
| (1) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् | - अध्यक्ष |
| (2) उप आयुक्त, राजस्व परिषद् | - सदस्य |
| (3) वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद् | - सदस्य |
| (4) आयुक्त एवं सचिव द्वारा नामित कोई सदस्य | - सदस्य |

भाग 6—परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

11. परिवीक्षा (1) सेवा या किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति सेवा में योगदान की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।



- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक—पृथक मामले में परिवीक्षा, जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :
- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

12. स्थायीकरण परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने—

- (क) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;
- (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;
- (ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा
- (घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

13. ज्येष्ठता

सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-27(6) के तहत कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के आधार पर किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी कलेक्टर के निर्देश एक ही दिनांक के हों तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 27(4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।

टिप्पणी—

1—सभी स्थायी संग्रह राजस्व निरीक्षक की एक पद-क्रम सूची (Gradation List) जनपद व मण्डल में रखी जायेगी और संयुक्त सूची ज्येष्ठता क्रम में राजस्व परिषद द्वारा तैयार की जायेगी।



भाग 7—वेतन आदि

14. पद व वेतन

संग्रह राजस्व निरीक्षक तथा संग्रह नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत व्यक्तियों का अनुमत्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायेगा। परिशिष्ट-क संलग्न।

15. परिवीक्षा के दौरान वेतन

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं हो तो, एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

16. प्रशिक्षण

- (1) संग्रह राजस्व निरीक्षक द्वारा ऐसे दिनांक को संस्थान में अपना योगदान देगा, जैसा कि परिषद् द्वारा नियत किया जाय, 03 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।
- (2) उप नियम (1) के अधीन यथा विहित संग्रह राजस्व निरीक्षक हेतु 03 माह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा, जो इस नियमावली के प्रारम्भ से पहले संग्रह अमीन के पद धारण कर रहे थे।
- (3) उनका प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ऐसी होगी जैसी परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (4) प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसकी व्यवस्था परिषद् द्वारा की जायेगी।
- (5) संग्रह नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत कार्मिक ऐसे दिनांक को संस्थान में पद ग्रहण करेंगे, जैसा अध्यक्ष, राजस्व परिशद् द्वारा नियत किया जाय और इस नियमावली के अधीन तैनाती के पूर्व साढ़े चार मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।



17. स्थायीकरण

नियम-16 के उप नियम (1) व (5) के उपबन्ध के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा। यदि-

- (क) उसने विहित प्रषिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो;
- (ख) उसका कार्य और आचरण संतोशजनक बताया गया हो और
- (ग) उसकी सत्यनिष्ठता अभिप्रमाणित हो;

जहाँ उत्तराखण्ड राज्य की सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन की गयी यह घोषणा की सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

भाग 8—अन्य प्राविधान

16. सेवा का विस्तार

सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक सामान्य संवर्ग होगा और इन्हें उत्तराखण्ड राज्य में कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

17. स्थानान्तरण

विशेष परिस्थितियों में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, आयुक्त एवं कलेक्टर की संस्तुति से मण्डल के भीतर एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण कर सकेंगे यथा प्रक्रिया (उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम के अनुसार किया जायेगा) द्वारा।

18.20 अन्य विषयों विनियमन

का ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हों, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति के राजकीय कार्यकलाप सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

21- 19. सेवा शर्तों शिथिलीकरण

का यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्त विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझें।

22-

20. व्यावृत्ति

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अध्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)

परिशिष्ट-1

क्र० सं	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	संग्रह नायब तहसीलदार	9300-34800 (लेवल-7)	05
2.	संग्रह राजस्व निरीक्षक	9300-34800 (लेवल-6)	10

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)

विषय:- संग्रह राजस्व निरीक्षक तथा संग्रह नायब तहसीलदार के पदों का संरचनात्मक ढाँचा।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत संग्रह राजस्व निरीक्षक तथा संग्रह नायब तहसीलदार नाम से पदनाम सूजित करते हुए संग्रह कार्मिकों का अलग संवर्ग बनाने तथा राजस्व निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) संवर्ग के कुल स्वीकृत पदों में से 6 प्रतिशत पद अर्थात् राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय) 126 पद तथा भूलेख निरीक्षक (मैदानी) के 34 पदों अर्थात् कुल 160 पदों में से 10 पदों को कम करते हुए संग्रह राजस्व निरीक्षक हेतु तथा नायब तहसीलदार के कुल स्वीकृत पदों में से 03 प्रतिशत पद अर्थात् 05 पद कम करते हुए संग्रह नायब तहसीलदार हेतु निम्नवत् आरक्षित/सूजित किया जाना प्रस्तावित हैः—

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनमान
1.	संग्रह राजस्व निरीक्षक	10	9300–34800 (लेवल-6)
2.	संग्रह नायब तहसीलदार	5	9300–34800 (लेवल-7)

नोटः— आवश्यकतानुसार अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)

संख्या—/४२७/XVIII(1)/2019- 03(17)/2009 TC-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इंटरनेट पर प्रसारण हेतु।
12. गार्ड फाइल।

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)